(29)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 46/2021

श्याम सुन्दर प्लाट ए–58, विक्की हाउस, राजगढ रोड, नियर बस स्टेण्ड, पिलानी 333031, मो0न0 9468827200

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 05.04.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.03.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 46/2021 पर दिनांक 18.03.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुन के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुन को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुन से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/981–982 दिनांक 18.03.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुन ने पत्रांक रसद/आर0टी0आई0/2021/155 दिनांक 31.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण मे श्रीमान्जी की सेवामे इस कार्यालय के पत्रांक राज सम्पर्क/2020–21/27–28 दिनांक 04.09.2020 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। Liquefied Petroleum Gas (Regu. Of Supply .....) Order, 2000 13(2) के अनुसार संबंधित कम्पनी का विक्रय अधिकारी उपभोक्ता की शिकायत सुनने हेतु अधिकृत है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुन द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक रसद/आर0टी0आई0/2021/155 दिनांक 31.03.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण मे श्रीमान्जी की सेवामे उनके कार्यालय के पत्रांक राज सम्पर्क/2020–21/27–28 दिनांक 04.09.2020 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। Liquefied Petroleum Gas (Regu. Of Supply .....) Order, 2000 13(2) के अनुसार संबंधित कम्पनी का विक्रय अधिकारी उपभोक्ता की शिकायत सुनने हेतु अधिकृत है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:26:56 IST
Reason: SelfAttested

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं।